भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4890

दिनांक 23.07.2019/1 श्रावण,1941 (शक) को उत्तर के लिए

न्यायालयों में सुरक्षा की कमी

4890. श्री श्याम सिंह यादवः
डॉ. वीरेन्द्र कुमारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के अभाव में न्यायालयों में प्रायः अनचाही घटनाएं होती रहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ग): 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' संविधान के तहत राज्य के विषय हैं। न्यायालयों सहित संस्थानों को सुरक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का है। सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकारों को सहायता एवं सहयोग प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती करती है और राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने तथा उनके क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

******